

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, नाराओसेओ,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
मांग संओ 40 विपत्र कोड 40-2052000900017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल  
11,51,56,000/- (ग्यारह करोड एकावन लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वेतनादि एवं अन्य मदों में उपबंधित राशि कुल  
11,51,56,000/- (ग्यारह करोड एकावन लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	आवंटित राशि	शेष राशि
01-वेतन	01 वेतन	41253000	41253000	0
	02 विशेष वेतन	6000	6000	0
	03 जीवन यापन भत्ता	53880000	53880000	0
	04 मकान किराया भत्ता	7977000	7977000	0
	05 परिवहन भत्ता	1094000	1094000	0
	06 चिकित्सा भत्ता	214000	214000	0
	07अन्य भत्ता	32000	32000	0
	08 त्योहार अग्रिम	200000	200000	0
योग-40-2052.00.090.0017.01-वेतन		<b>104656000</b>	<b>104656000</b>	<b>0</b>
06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	700000	700000	0
योग-40-2052.00.090.0017.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		<b>700000</b>	<b>700000</b>	<b>0</b>
11-यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	700000	700000	0
योग-40-2052.00.090.0017.11-यात्रा व्यय		<b>700000</b>	<b>700000</b>	<b>0</b>
13-कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	2500000	2500000	0
	02 वाहन का इंधन एवं रख-रखाव	1000000	1000000	0
	03 दूरभाष	200000	200000	0
	05 विधि प्रभार	100000	100000	0
	06 वर्दी/पोशाक	150000	150000	0
	10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	500000	500000	0
	योग-40-2052.00.090.0017.13-कार्यालय व्यय		<b>4450000</b>	<b>4450000</b>
20-अन्य प्रशासनिक व्यय	01 आतिथ्य व्यय	50000	50000	0
	03 प्रशिक्षण व्यय	100000	100000	0
योग-40-2052.00.090.0017.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>
28-व्यावासायिक सेवाएँ	02 सविदा सेवाएँ	4500000	4500000	0
योग-40-2052.00.090.0017.28 व्यावासायिक सेवाएँ		<b>4500000</b>	<b>4500000</b>	<b>0</b>
<b>कुल 11,51,56,000/- (ग्यारह करोड एकावन लाख छप्पन हजार)</b>				

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, भाड़े की गाड़ी का भुगतान, दूरभाष, विधि प्रभार, वर्दी/पोशाक, आतिथ्य व्यय, प्रशिक्षण व्यय, संविदा सेवाये आदि मदों में मितव्ययिता बरती जाय। सभी मदों में पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए व्यय किया जाय।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 (लेखा) को दो प्रतियों में तथा प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक- 08-05-17  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।